संख्या–1256/38–7–2008

प्रेषक,

डा0 जे0एन0चेम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जनपद, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का गठन।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो एवं उसके सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान में पारदर्शिता के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का गठन अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–39एनआरईजी/38–7–2006, दिनांक 24–7–2006 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों/विकास खण्डों में अभी तक सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक है।

2– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशिका के प्रस्तर–10.7 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया जाय। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गांव के निवासी सदस्य होंगे, जहां संबंधित परियोजना को लागू किया जा रहा है। यह समिति कियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखेगी। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा करेगी। सदस्यों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय।

3– कियान्वयन निकाय द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का विवरण, समयावधि तथा गुणवत्ता मानकों के बारे में उक्त समिति को जानकारी उपलब्ध कराये जाने का दायित्व होगा। परियोजना परिपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ इस समिति की अंतिम रिपोर्ट भी संलग्न की जायेगी और उसे पंचायत की अगली ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। इस रिपोर्ट की एक प्रति कार्यकम अधिकारी तथा जिला कार्यकम समन्वयक को भेजी जायेगी।

4– सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैटक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य की जायेगी। बैठक आयोजित किये जाने का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी का होगा।

कृपया उक्त निर्देशों के अनुकम प्रत्येक स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन कराकर उसकी सूचना जिला कार्यकम समन्वयक तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास को दिनांक 20–6–2008 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
31/5/08
(डा0 जे0एन0चेम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1256 (1)/88–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1-- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

2-- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3-- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

अनु सचिव।